Statutory Declaration Under Section 4(1) (b) of the RTI Act 2005

This College strictly adheres to the provisions of the Right to information Act. 2005, as also amended from time to time.

The RTI institutional set-up is as follows:

1. Public Information Officer: - Dr. S.K. Tripathi, Principal
2. Assistant Information officer: - Dr. S.K. Sinha, Asstt. Professor (Chemistry)
3. Appellate Information officer: - Dr. Satish Deshpande, Addnl. Director (Higher Education, C.G. Govt. Raipur)

Procedure of Getting Information Under RTI Act. 2005

Scanned by CamScanner

[1]छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनिमयन) नियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) (ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ — (1) ये नियम छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 कहलाएंगे।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा।

2. परिभाषाएँ — इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 सन् 2005) से है।

(ख) 'धारा' का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा से है।

(ग) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं।

3. धारा 6 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र दस रुपये शुल्क नगद, समुचित रसीद [2][या नान ज्यूडीशियल स्टाम्प या मनीआर्डर] [3][या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक (₹ 1000 तक के अरेखांकित तथा ₹ 1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर] सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के [3]["मुख्य शीर्ष - 0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उप मुख्य शीर्ष - (60) - अन्य सेवाएं, लघु शीर्ष - (118) - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ"] में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा।

4. धारा 7 की उपधारा (1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार मूल्य नगद, समुचित रसीद [2][या नान ज्यूडीशियल स्टाम्प या मनीआर्डर] [3][या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स

1. अधिसूचना क्र. एफ-7-16/2005/1/6, दिनांक 1-10-2005 एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11-11-2005 को पृष्ठ 565-566 पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ 2-1/2005/1/6 दिनांक 25 फरवरी, 2006 द्वारा नियम 3, 4 में संशोधित किया गया. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 10-3-2006 को प्रकाशित।
3. अधिसूचना क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र, दिनांक 31-1-2012 द्वारा संशोधित किया गया।

चेक (₹ 1000 तक के अरेखांकित तथा ₹ 1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर] सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के [1]["मुख्य शीर्ष - 0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उप मुख्य शीर्ष - (60) - अन्य सेवाएं, लघु शीर्ष - (118) - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ"] में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा :—

(क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिए दो रुपए,

(ख) बड़े आकार के कागज पर प्रति का वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य, एवं

(ग) नमूना अथवा माडल के लिए वास्तविक या लागत मूल्य,

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए [2][50/- रुपये] और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पाँच रुपए की शुल्क।

5. धारा 7 की उपधारा (5) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु मूल्य निम्नानुसार दर से नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के [1]["मुख्य शीर्ष - 0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उप मुख्य शीर्ष - (60) - अन्य सेवाएं, लघु शीर्ष - (118) - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ"] में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा :-

(क) सी.डी. या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए पचास रुपये प्रति सी.डी. या फ्लापी, एवं

(ख) मुद्रित फार्म में सूचना के लिए प्रकाशन के लिये नियत कीमत।

---

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र, दिनांक 31-1-2012 द्वारा संशोधित किया गया।
2. अधिसूचना क्र. एफ-2-10/2006/1/6, दिनांक 9-3-2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned by CamScanner